भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 580**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 03 फरवरी 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात केंद्र के रूप में जिले

580. श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्यों में निधि वितरण के मानदंड क्या हैं और "जिलों को निर्यात केंद्र" पहल के अंतर्गत अंतर्देशीय और गैर-पारंपरिक जिलों के लिए क्या विशिष्ट निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) ब्याज समतुल्यकरण योजना और बाजार पहुंच पहल जैसी विलय योजनाओं से लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को निधि से वितरण में लगने वाले प्रशासनिक समय में किस प्रकार कमी होती है;

(ग) पहली बार निर्यात करने वालों के लिए विशेष रूप से कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है;

(घ) वैश्विक टैरिफ दबावों को देखते हुए घरेलू रोजगार की सुरक्षा के लिए वस्त्र और हस्तशिल्प क्षेत्रों को समर्पित वित्तीय राहत की राशि कितनी है;

(ङ) छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और वामपंथ-चरमपंथी-प्रभावित जिलों में पारंपरिक वन उत्पादों और हस्तशिल्पों को उच्च मूल्य वाले वैश्विक निर्यात में परिवर्तित करने के लिए 'निर्यात दिशा' हस्तक्षेपों के विकास हेतु किया गया विशिष्ट वित्तीय आवंटन कितना है; और

(च) वे विशिष्ट प्रमुख निष्पादक संकेतक (केपीआई) क्या हैं जिन्हें विदेश व्यापार महानिदेशालय का डिजिटल प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करने के लिए पता लगाएगा कि यह एक मुख्य रूप से "परिणाम-आधारित" तंत्र बना रहे?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च) निर्यात केंद्र के रूप में जिले (डीईएच) विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग की एक क्षमता निर्माण की पहल है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर निर्यात संवर्धन, विनिर्माण और रोजगार सृजन के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

यह आत्मनिर्भर भारत मिशन के नीतिगत प्रोत्साहन, दुनिया के लिए मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण और वॉकल फॉर लोकल जिसमें राज्यों और जिलों को सार्थक हितधारकों और सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में शामिल किया गया है ताकि भारत में निर्यात संवर्धन प्रयासों का सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

निर्यात केंद्र के रुप में जिले की पहल एक सक्षम रुपरेखा है। यह पहल जिला स्तर पर निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की मौजूदा स्कीमों, कार्यक्रमों और संस्थागत प्रयासों के साथ-साथ अन्य हितधारकों की समरुपता और समन्वय के माध्यम से कार्य करती है।

इस पहल में किसी भी प्रकार की निधि के आवंटन के लिए एमएसएमई सहित क्षेत्र या श्रेणी वार प्रतिशतता निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है।

सरकार ने भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, विशेष रुप से एमएसएमई को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) स्कीम को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

ईपीएम स्कीम दो एकीकृत स्कीमों के माध्यम से संचालित होगीः

क. निर्यात प्रोत्साहन, ब्याज में छूट, निर्यात फैक्टरिंग, निर्यात ऋण के लिए आनुषंगिक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण, उभरते निर्यात अवसरों के लिए सहायता जैसे साधनों के माध्यम से व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार पर केंद्रित है; और

ख. निर्यात दिशा, अन्य व्यापार एनेबलर्स जैसे निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग और पैकेजिंग, बाजार पंहुच पहल, निर्यात लॉजिस्टिक्स एवं भण्डारण और व्यापार आसूचना पर केंद्रित है।

ईपीएम पहले के ब्याज समतुल्यकरण स्कीम और बाजार पंहुच पहल को एक ही व्यवस्था और डिजिटल रुपरेखा के भीतर समेकित करती है, जिससे प्रक्रियाओं का दोहराव कम होता है, अनुमोदन प्राप्त करना सुव्यवस्थित होता है, कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार होता है और एमएसएमई से संबंधित वितरण के लिए प्रशासनिक सुधार में लगने वाला समय कम हो जाता है।

छत्तीसगढ के निर्यातक और संस्थान निर्यात दिशा से संबंधित घटकों के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, जिसमें बाजार पहुंच, गुणवत्ता और अनुपालन, ब्रांडिगं और व्यापार सुविधा शामिल है, जो अनुमोदित दिशा-निर्देशों और प्रस्तावों के अधीन है।

निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत विभिन्न पहलों को कार्यान्वित किया जाएगा और परिणामों के आकलन के लिए एक कार्य-ढ़ांचे सहित डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से निगरानी की जाएगी।

*****